न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)

फौज. अपील सं. :– 83/13

पीठासीन अधिकारीः– उमाशंकर व्यास,
आर.एच.जे.एस.

शिवकरण पुत्र भागुराम, जाति जाट निवासी मेघादण्ड पुलिसथाना मेड़ता सिटी जिला नागौर।

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य।

–रेस्पोडेंट

फौजदारी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.08.2013 न्यायालय अति. न्यायिक मजि., मेड़ता, बसिलसिले फौज. मूल प्र.सं. 131/10 राज्य बनाम शिवकरण, अपराध धारा 279, 304ए भा.दं.सं.।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर भवंररिया।
2. रेस्पोडेंट की ओर से – पी.पी. श्री दौलत सिंह।

निर्णय

दिनांकः–25.02.2016

अपीलार्थी/अभियुक्त शिवकरण द्वारा यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजि. प्रथम वर्ग मेड़ता द्वारा मूल फौज. प्रकरण 131/10 में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 19.09.13 से व्यथित होकर प्रस्तुत की।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक मोटाराम के साले पी.डब्ल्यू. 11 अमराराम द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 18 दिनांक 28.04.10 को पुलिस थाना मेड़ता सिटी में इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका बहनोई मोटाराम दिनांक 26.04.10 को रात्रि के 10 बजे जसनगर से मेड़ता सिटी की

लगातार.....

तरफ मोटरसाईकिल पर जा रहा था तब कात्यासनी से थोड़ा आगे एक ट्रक आर.जे. 21 जी.ए. 3387 सड़क के बीच में खड़ा था जिसके पीछे जाकर मृतक टकरा गया। ट्रक चालक ने अपना ट्रक सड़क के बीच में बिना कोई इण्डीकेटर लाईट जलाए हुए व संकेत दिये सड़क के बीच में खड़ा कर दिया था, उसकी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है।

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. सं. 101/10 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया, दौराने अनुसंधान गवाहान् के बयान लिये, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया तत्पश्चात् अन्य नियमित व औपचारिक अनुसंधान पूर्ण कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अभियुक्त शिवकरण के विरूद्ध धारा 279 व 304ए के आरोप में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों का आरोप सारांश सुनाया तो इंकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजनपक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में कुल 11 गवाहान् को परीक्षित करवाया। अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लैखबद्ध किये गये तत्पश्चात् बाद विचारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.08.13 के जरिये धारा 279 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया और धारा 304ए. भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास व 500/–रू. अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि घटना की पुष्टि किसी भी अभियोजन साक्षी ने नहीं की है, सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाह पक्षद्रोही हैं, सूचनाकर्ता द्वारा सुनी सुनाई बात के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है, आरोपित वाहन से दुर्घटना होना तथा उसके चालक अर्थात अभियुक्त की लापरवाही रही हो यह तथ्य प्रमाणित नहीं है, इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

लगातार.....

तथ्यों व विधि के विपरीत जाकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने तथा अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को तथ्यों व विधि के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की बहस के सन्दर्भ में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

परिवादी पी.डब्ल्यू. 11 अमराराम मृतका का साला है, जानबूझकर मृतक के विरूद्ध नहीं हो सकता। इस गवाह का कथन है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था इसलिए किसकी गलती से यह दुर्घटना हुई उसे पता नहीं, वह तो सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा तब सड़क के पास पटरी पर ट्रक खड़ा था, मोटरसाईकिल पड़ी थी, उसके बहनोई की मृत्यु हो चुकी थी, मौके पर और कोई वाहन नहीं था। मौके पर जो ट्रक खडा था उसके नम्बर उसे पता नहीं, उसने एफ.आई.आर. में नहीं लिखाए तथा ट्रक चालक कौन था उसे पता नहीं, उसने उसे मौके पर नहीं देखा।

अभियोजनपक्ष ने पी.डब्ल्यू. 2 शिवकरण व पी.डब्ल्यू. 3 जीवणराम को प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में परीक्षित कराया है। ये दोनों गवाह जाहिर करते हैं कि वे घटनास्थल के पास में ही ढाणी/कुआं पर थे, टकराने व चिल्लाने की आवाज आई, मौके पर गये तो एक ट्रक सड़क पर खड़ा था, एक मोटरसाईकिल भी पड़ी थी व एक आदमी मृत अवस्था में था जिसका नाम मोटाराम था। मौके पर खड़ा ट्रक किसका था उसके क्या नम्बर थे, चालक कौन था, दुर्घटना कैसे हुई इस बाबत गवाह ने अनभिज्ञता प्रकट की है और अभियोजन कहानी का समर्थन नही करने से इन दोनों ही गवाहान् को पक्षद्रोही अभियोजन के निवेदन पर घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन प्रतिपरीक्षा में भी इन दोनों गवाहान् ने अन्वीक्षाधीन अभियुक्त के विरूद्ध कोई सकारात्मक साक्ष्य

लगातार.....

नहीं दी है।

पी.डब्ल्यू. 1 नक्शा मौका व ट्रक जब्ती का गवाह है लेकिन इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। पी.डब्ल्यू. 4 बलवीरसिंह घटना के समय ट्रक का रजिस्टर्ड मालिक था जो जाहिर करता है कि यह ट्रक उसने देवकरण को अनुबंध के जरिये घटना से पहले ही विक्रय कर दिया था और इस तथ्य को वास्तविक मालिक पी.डब्ल्यू. 6 देवकरण ने भी स्वीकार किया है। इन दोनों गवाहान् ने जाहिर किया है कि पुलिस ने उन्हें अनुसंधान के दौरान क्रमशः प्रदर्श पी. 5 व 7 नोटिस अन्तर्गत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिया था जिसमें चालक का नाम अभियुक्त अपीलार्थी का होना सूचित किया था।

पी.डब्ल्यू. 5 रामस्वरूप जाहिर करता है कि उसने एम. टी.ओ. की हैसियत से दिनांक 30.04.10 को जब्तशुदा ट्रक आर.जे. 21 जी.ए. 3387 का मैकेनिकल मुआएना किया तथा उसकी दोनों हेड लाईट फूटी हुई थी, दांयी तरफ का आगे का शीशा टूटा हुआ था, साफ्ट निकली हुई थी, ट्रक चलने की स्थिति में नहीं था। पी.डब्ल्यू. 7 मनीष फोटोग्राफर दुर्घटनास्थल के फोटोग्राफ पी. 8 से 16 तक लेना व तैयार करना जाहिर करता है। पी.डब्ल्यू. 8 डा. अशोक माथुर ने मृतक मोटाराम की मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 7 को प्रदर्शित करवाया है तथा जाहिर किया है कि मृतक की मस्तिष्क में लगी चोट के कारण से मृत्यु हुई थी। पी.डब्ल्यू. 9 पूनाराम नक्शा मौका प्रदर्श पी. 1 का गवाह है जो जाहिर करता है कि पुलिस ने उसके सामने यह नक्शा बनाया था।

पी.डब्ल्यू. 10 सुमेर सिंह अनुसंधानधिकारी है जो जाहिर करता है कि उसने अनुसंधान के दौरान गवाहान् के बयान उनके कहे अनुसार लिये, घटना में लिप्त दोनों वाहनों को जब्त कर मैकेनिकल मुआएना करवाया, मृतक की लाश का पंचनामा बनाया, घटनास्थल का परीक्षण कर नक्शा मौका बनाया। प्रतिपरीक्षा में यह गवाह जाहिर

करता है कि जिस दिन उसे तफ्तीश मिली उसी दिन वह मौके पर पहुंच गया था, नक्शे में कुछ कांट–छांट है जिसके ऊपर व्हाईटनर लगाया गया है और उन पर उसके लघु हस्ताक्षर नहीं है। आरोपित ट्रक घटना में लिप्त नहीं रहा हो इस सुझाव से इंकार किया है।

यह घटना दिनांक 26.04.10 की रात्रि की है तथा सूचनाकर्ता पी.डब्ल्यू. 11 अमराराम घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है उसे मोटाराम की दुर्घटना होने बाबत सूचना मिलने पर वह मौके पर गया तब उसने देखा कि मौके पर एक ट्रक मोटरसाईकिल तथा मृतक पड़े हुए हैं। इस गवाह ने घटना में लिप्त ट्रक के नम्बर या चालक का नाम आदि नहीं बताया है। अतः ऐसी स्थिति में घटना में लिप्त ट्रक से ही यह दुर्घटना हुई हो यह तथ्य इस गवाह के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है। घटना के दोनों प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू. 2 शिवकरण व पी.डब्ल्यू. 3 जीवणराम ने मात्र यही प्रमाणित किया है कि मौके पर एक ट्रक, एक मोटरसाईकिल तथा एक व्यक्ति मृत अवस्था में थे उन्होंने घटना अपने ऑखों से नहीं देखी। इन दोनों गवाहान् ने भी अभियुक्त के ट्रक से दुर्घटना होने के बाबत स्पष्ट कथन नहीं किया है, मौके पर पड़े ट्रक के नम्बर आदि भी नहीं बताये हैं। ये दोनों गवाह भी पक्षद्रोही हैं तथा अभियोजन कहानी का इनके कथनों से समर्थन नहीं होता है।

घटना दिनांक 26.04.10 की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 18 दिनांक 28.04.10 को अर्थात घटना के दो दिन बाद दर्ज हुई है तथा नक्शा मौका प्रदर्श 1 भी घटना के 2 दिन बाद तैयार किया गया है। 2 दिन में घटना के हालात तथा वाहनों की उपस्थिति व उनकी लोकेशन बदली जा सकती थी। इसके अलावा नक्शा मौका प्रदर्श पी. 1 में ट्रक की उपस्थिति के स्थान आदि में संशोधन व कांट–छांट की गई है जिस पर अनुसंधानधिकारी के लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में इस नक्शा मौका के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। यदि ऐसी

लगातार.....

कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होती तब यह नक्शा मौका पुष्टिकारक दस्तावेज के रूप में सार्थक हो सकता था, मात्र इस दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करार नहीं दिया जा सकता।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन से अधिकतम यह संभावना प्रकट होती है कि मौके पर आरोपित ट्रक खराब हो जाने के कारण से खड़ा था और मृतक मोटरसाईकिल चालक इस ट्रक के पीछे जाकर भीड़ गया और उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। सर्वप्रथम तो आरोपित वाहन से दुर्घटना होने के बाबत ही कोई संतोषजनक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इसके अलावा इस तथ्य को एक बार मान भी लिया जावे तो स्वयं अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ प्रदर्श 8 से 16 में जो हालात बताए हैं, उसके अनुसार ट्रक खड़ी हुई के पीछे संकेत के रूप में सड़क पर पत्थर आदि लगाए हुए थे। एम.टी.ओ. रिपोर्ट के अनुसार ट्रक का आगे का हिस्सा किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त था, साफ्ट टूटी हुई थी और चलने योग्य अवस्था में नहीं थी। स्पष्ट है कि यांत्रिकी त्रुटि के कारण यह ट्रक मौके पर खड़ा करना पड़ा और अधिकतम जो सावधानी चालक संकेत आदि लगाने के लिए लगा सकता था वह सावधानी चालक द्वारा बरती गई है। घटना के तुरन्त पश्चात् पी.डब्ल्यू. 11 अमराराम मौके पर पहुंचा तथा सबसे पहले घटनास्थल के हालात उसी ने देखे तथा यह गवाह जाहिर करता है कि ट्रक सड़क के पास पटरी पर खड़ा था। अतः इन परिस्थितियों में ट्रक चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई हो, यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजनपक्ष अपनी कहानी को सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है उसके आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धी तथ्यों व विधि के अनुरूप नहीं है लेकिन इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय

व दण्डादेश पारित किया है जो अपास्त होने तथा अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अपीलांट शिवकरण की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं दण्डादेश दि. 19.08.2013 को अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को धारा 304ए भा.दं.सं. के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के प्रत्येक पेशी पर हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता।

निर्णय व आदेश आज दिनांक 25.02.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता।